



राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र

NATIONAL CENTRE FOR INTEGRATED PEST MANAGEMENT

लाल बहादुर शास्त्री भवन, विंग एल-1 एण्ड एम-1 ब्लॉक - एफ, नई दिल्ली 12

Lal Bahadur Shastri Bhawan, Wing L-1 & M-1 Block-F, New Delhi - 110 012

संख्या : AMC for PA System / 24 / रासनाप्रके भंडार /

दिनांक 11 / 12 / 2009

विषय : AHUJA MAKE PA SYSTEM की AMC हेतु मुहरबंद टैंडर/ कॉटेशन आमंत्रित की जाती है।

महोदय,

कॉटेशन इस कार्यालय में दिनांक 29.12.2009 को 14: 30 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। दिनांक 26.12.2009 को 14: 30 के बाद पहुंची कॉटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। Rs. 5000/- ई.एम.डी. राशि/टैंडर/कॉटेशन के साथ ही जमा करें। सफल कॉटेशन कर्ता को कुल सपलाई आर्डर की 10 % घरोहर राशि (Security Money) निदेशक राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र नई दिल्ली 110012 (DIRECTOR NCIPM,PUSA NEW DELHI) के नाम जमा करवानी होगी।

टैंडर/ कॉटेशन डालने वाली फर्म द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी चाहिए :-

- टैंडर/कॉटेशन की दरें कार्यालय द्वारा उन्हें स्वीकार करने से 45 दिनों तक मान्य रहेगी।
- दर्शाई गई दरों में आपूर्तिकर्ता के गोदाम से दिल्ली/नई दिल्ली पार्सल/रेलवे स्टेशन पर जाने का माल भाड़ा आदि अथवा अन्य खर्च जैसे पैकिंग, माल भेजने का डाक खर्च आदि भी शामिल होंगे इसके लिए दर्शाई गई दरों के अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।
- यदि दर्शाई गई दरों के अतिरिक्त कोई टैक्स ड्यूटी अथवा अन्य प्रभार लगाया जाना है तो राशि प्रभार/टैक्स का प्रतिशत भाग/ड्यूटी का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। कृपया यह नोट कर लें कि यह संस्थान शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान/प्रयोगशाला आदि की भांति घोशणा पत्र के द्वारा बिक्री कर में रियायत पाने का हकदार है।
- यदि किसी मामले में अनुसूचि में दर्शाई गई कोई भी वस्तु दर अनुबन्ध अथवा डी जी एस एण्ड डी आदि के अंतर्गत आती है तो दर अनुबंध एवं दिनांक का उल्लेख करें। दर अनुबंध की प्रति संलग्न करना पर्याप्त होगा।
- जब तक अलग से निर्दिष्ट न किया जाए केवल देशी वस्तुओं की दरें ही दर्शाई जाए। जहां देशी सामग्री उपलब्ध न हो विदेशी वस्तुओं की दरें दर्शाई जा सकती है परन्तु उनका भुगतान भी भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा।
- कृपया टैंडर/कॉटेशन में यह भी इंगित करें कि क्या सामान की आपूर्ति उपलब्ध स्टॉक से की जानी है अथवा

उसका आयात कर/अन्यत्र कहीं से प्राप्त करके की जानी है यदि ऐसा है तो साथ ही यह भी उल्लेख करें कि आपूर्ति आदेश मिलने के उपरान्त कितने समय में सामान की आपूर्ति की जाएगी।

- अनुसूची में वर्णित सामग्री की आपूर्ति जारी किए गए खरीद आदेश के अनुसार की जानी है।
- सामान की आपूर्ति, सड़क मार्ग अथवा रेल द्वारा या अन्य किसी भी तरीके से किए जाने पर होने वाले खर्च की सारी जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की ही होगी।
- टेंडर/कॉटेशन में सभी प्रकार का विवरण यथापूर्ति की निम्नतम इकाई विनिर्देश दर टैक्स की वास्तविक अथवा अनुपातिक दर ड्युटी भेजने का तरीका आदि होना चाहिए यदि उपकरण को स्थापित करने का कार्य आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाना है तो इसके सम्बन्ध में यदि कोई अतिरिक्त भुगतान किया जाना है तो उसका उल्लेख करें। भारी मात्रा में आपूर्ति का आदेश मिलने पर यदि कोई छूट संभव हो तो टेंडर/ कॉटेशन में भी उसका उल्लेख करें।
- उपकरणों के मामले में निश्चित रूप से एक वर्ष का वारंटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- सामग्री का संतोषजनक आपूर्ति तथा पूर्व - प्राप्ति बिल की रसीद 3 प्रतियों में प्राप्त होने पर भुगतान इलाहाबाद बैंक ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली पर देय डिमांड ड्राफ्ट/चैक द्वारा किया जाएगा। किसी भी अन्य तरीके से भुगतान की अपेक्षा रखने वाली कॉटेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- निदेशक राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र नई दिल्ली ; DIRECTOR NCIPM,PUSA NEW DELHI) को बिना कारण बताए सामग्री या टेंडर/कॉटेशन अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार है।
- टेंडर/कॉटेशन में एक बार दिए गए रेट ही माने जाएंगे दोबारा इनमें कोई संशोधन नहीं होगा। रेट के संदर्भ में कोई भी पूछताछ करने वाली फर्म के कॉटेशन /टेंडर को मान्य नहीं ठहराया जाएगा।
- कॉटेशन की स्वीकृति/अस्वीकृति के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
- सभी विवाद नई दिल्ली न्यायालय में ही निपटाए जाएंगे।
- EMD राशि की वापसी हेतु कॉटेशन /टेंडर के साथ ही पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न करें।
- अधिक जानकारी के लिए केन्द्र की वेबसाइट <http://www.ncipm.org.in> देखें।

भवदीय

प्रभारी अधिकारी

Technical Specification

Public Addressing System(PAS) of the Centre installed in the Training Hall needs to be covered under Annual Maintenance Contract(AMC) for proper functioning as this system is going to enter second year after new installation rendering its useful utilities for the Center's programmers very often. Therefore, it is requested to cover it under AMC comprising of the following components of the System:

1. The system to be covered:

- Ahuja delegate unit CMD 4200: 20nos
- Ahuja chairman unit CMC 4100: 01no.
- Ahuja secretary unit CMS 4300: 01no.
- Ahuja power supply unit CMA 4400: 02nos
- Ahuja cordless hand held microphone AWM 690VH: 02nos

- Ahuja cordless collar microphone AWM 690VL: 02nos
- Ahuja 80W PA cassette recorder amplifiers UCR 810: 01no.
- Ahuja gooseneck condenser microphone GM-611 with stand GMB 6C: 02sets
- Feedback Destroyer IA 231F EQFDS: 01no.
- Philips 6W wooden speaker with LMT LBD 8372: 06nos
- Ahuja 10W metallic column with LMT: 02nos

2. System is in working condition and its AMC would be provided "as and where basis" on the site at the Training Hall of NCIPM, New Delhi. The interested firm may inspect it before quoting the rates for AMC.

3. At least four mandatory visits for comprehensive services of the system are to be provided onsite at the Centre at New Delhi.

4. Normal Call attending time onsite would be 1-2 days, but it would strictly be 4-6 hrs including night time if there is an important task. For this purpose firm must have proper fax system and land line plus mobile phone connectivity. The number of call attending would be unlimited and it would be on the basis of requirement for smooth operation of the installed system.

5. Proposal should be for comprehensive AMC of the system.

6. Whenever the system or part of it is to be taken outside, a standby system or part of the same capacity/make is to be provided in place of it if there is a notified/scheduled meeting or important. The firm has to satisfy the authorities regarding the performance of the system and the firm has to get a formal certificate for this purpose.

7. All the conditions mentioned above would be mandatory and no other term and condition of the firm would be entertained either explicitly or implicitly.

8. The bidder must produce/attach AMC experience/completion of such system along with the quotation with at least three reputed organizations/institutions in the last five years.

9. If whenever the system is to be taken outside the premises of the Centre for repair or checking, then the firm has to bear the whole expenses of transportation etc. and take care of the system as any further fault reported thereafter while installing the system back would also be borne by the firm.

10. Providing all genuine spare parts at firm's cost.

11. On non compliance of any complaint by the contractor and if the same is rectified by any other party/firm the charges becomes payable by the contractor.

भवदीय

प्रभारी अधिकारी